न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 62 / 2019 राजस्व अपील

1. गोरधन पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर निवासी टोरडा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज. सरकार जरिये नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 27.09.2019 नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा प्रकरण उनवानी सरकार बनाम बाबूलाल मु. नं. 223 / 2019

उपस्थिति : श्री देवीसिंह चौहान अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: पैराकार सरकार उपस्थित।

दिनांकः 18.02.2020

—: निर्णय :—

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का सलेमपुरा की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा ने ग्राम टोरडा तहसील रामगढ पचवारा में स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 529 / 337 रकबा 3 बीघा (0.75 है.) पर अतिक्रमण किया जाना मानकर अपीलान्ट को बिना सुनवाई एवं जवाबदेही शहादत सबूत का अवसर प्रदान किये बिना 50 गुना पेनल्टी एवं तीन माह (90 दिवस) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के आदेश फरमा दिये। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा के उक्त आदेश दिनांक 27.09.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय दिनांक 27.09.2019 विधि विधान एवं कानून की सामान्य प्रक्रिया एवं सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही सजा, पेनल्टी एवं बेदखली के आदेश जारी कर कानून की अवहेलना की है। अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया ना ही प्रार्थी के विरूद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत पेश किया गया। अपीलान्ट के पीठ पीछे उक्त आदेश

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पारित किया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमायी जाकर नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा के निर्णय दिनांक 27.09.2019 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम गोरधन मु. नं. 223/2019 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने संवत 2076 में ग्राम टोरडा तहसील रामगढ पचवारा में स्थित बंजड भूमि खसरा नम्बर 529/337 रकबा 3.00 बीघा पर बाजरे की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 27.09.2019 को बेदखल करने एवं शास्ति आरोपित करने के साथ ही तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट नियमित अतिचारी है। पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा के निर्णय दिनांक 27.09.2019 को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया जाकर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट ने संवत 2076 में ग्राम टोरडा तहसील रामगढ पचवारा में स्थित बंजड भूमि खसरा नम्बर 529/337 रकबा 3.00 बीघा पर बाजरे की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट नियमित अतिचारी है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 27.09.2019 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। मुकदमा नम्बर 223/2019 उनवानी सरकार बनाम गोरधन में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official